

न्यायालय:-एस0के0 गुप्ता, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 435 / 17

भूरा उर्फ रवि पुत्र तांती सिंह मिर्धा आयु 26 वर्ष
निवासी ग्राम पिपरोली थाना व परगना गोहद
जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

04-01-2018

आवेदक/आरोपी भूरा उर्फ रवि की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

विचारण न्यायालय (श्री ए0के0 गुप्ता जे0एम0एफ0सी0 गोहद) से मूल आपराधिक प्र0क्र0 755/17 प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त भूरा उर्फ रवि की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री एम0एस0 यादव द्वारा प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के खिलाफ झूठा मामला कायम कर लिया गया है, जबकि आवेदक का किसी भी अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है वह निर्दोष है तथा झूठा फंसाया गया है। आवेदक 26 वर्षीय नवयुवक है। उसके फरार होने तथा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की आशंका नहीं है। अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक दिनांक 02.11.17 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 755/17 के संपूर्ण अभिलेख

का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त भूरा मिर्धा के विरुद्ध धारा 34 (2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरक्षी केंद्र मालनपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उसके ज्ञानयुक्त आधिपत्य से कुल 70 वल्क लीटर अर्थात् 50 लीटर से अधिक शराब को जप्त होना बताया गया है, जो कि गंभीर स्वरूप का अपराध है तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध किया गया है एवं मामले के परिस्थितियों में ऐसा भी दर्शित नहीं होता है कि आवेदक उक्त अपराध का अभियुक्त नहीं है और जमानत मिलने की दशा में अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः धारा 59-ए म0प्र0 आबकारी अधिनियम में उपबंधित विधिक प्रावधानों सहित उक्त समस्त के आलोक में जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल आपराधिक प्रकरण संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड